जॉन ऑस्टिन का सम्प्रभुता सिद्धांत

(John Austin's theory of Sovereignty)

Dr. Raju Mochi
Head Deptt of Pol. science
D.K. College, Dumraon
Dated - 05/05/2020

आधुनिक काल में जॉन आस्टिन कानूनी सम्प्रभुता के सिद्धान्त का महान प्रवक्ता है। प्रभुसत्ता सिद्धांत के विकास में जॉन ऑस्टिन के विचारों का विशेष महत्व है। आस्टिन इंगलैण्ड के प्रसिद्ध विधि शास्त्री थे और सन 1832 में उन्होंने अपनी पुस्तक 'विधि-शास्त्र पर व्याख्यान' (lectures on Jurisprudence) में सम्प्रभुता के कानूनी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आस्टिन के शब्दों में, "यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी अपने ही समान किसी अन्य उच्च सत्ताधारी की आज्ञा के पालन का अभ्यस्त नहीं है, तथा किसी समाज के बहुसंख्यक सदस्यों से आदतन आज्ञा पालन प्राप्त करता है, तो वह निश्चित उच्च सत्ताधारी उस समाज में संप्रभु है और वह समाज (उच्च को सम्मिलित करके) राजनीतिक तथा स्वतंत्र समाज है।

ऑस्टिन हॉब्स और बेंथम के विचारों से प्रभावित था। उसने कानून की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया तथा कानून को एक उच्च व्यक्ति द्वारा निम्न लोगों को दिया गया आदेश बतलाया। ऑस्टिन के शब्दों में, "कानून उन नियमों का संकलन है जो राजनीतिक दृष्टि से अधीन व्यक्तियों के लिए राजनीतिक दृष्टि से उच्च स्तर का व्यक्ति या सम्प्रभु बनाता है।" समाज का अधिकांश भाग उच्च कोटि के मनुष्य के आदेशों को मुख्यतः इसलिए मानता है कि उच्च कोटि के मनुष्य में अपने "अधीन व्यक्ति या व्यक्तियों पर असीम दबाव डालने की शक्ति होती है।

आस्टिन के सम्प्रभुता संबंधी दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशेषताएँ स्पष्ट होती हैं।

(I) **सम्प्रभु कोई निश्चित मनुष्य होना चाहिए** :- आस्टिन के सिद्धांत के अनुसार सम्प्रभु एक निश्चित मनुष्य व समूह होता है। सम्प्रभु ऐसा होना चाहिए जो स्पष्टतया दृष्टिगोचर (जो देखने में आए) हो और जिसे लोग सब अधिकारों के स्त्रोत के रूप में स्वीकार कर सकें। जिस प्रकार पदार्थ के किसी पिण्ड में गुरुत्वाकर्षण केन्द्र होना अनिवार्य है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक राजनीतिक समाज में सम्प्रभुता का होना अनिवार्य है। राज्य में दो कार्य होते हैं - आदेश देना और उसका पालन करना। आदेश देनेवाली शक्ति श्रेष्ठ होती है और उसका पालन करने वाली शक्ति निम्न होती है।

(II) **सम्प्रभु सर्वोपरि होता है** :- आस्टिन के अनुसार प्रभुसत्ता असीमित होती है। उसके ऊपर कोई कानूनी बंधन नहीं होते। कोई उच्च अधिकारी उससे अपनी आज्ञाओं का पालन नहीं करा सकता।

(III) **सम्प्रभुता स्थायी होती है**, अल्पकालीन नहीं :- सम्प्रभु की आज्ञा का पालन लोग आदतन करते हैं, यदा कदा नहीं। इसका अर्थ है कि सम्प्रभु की आज्ञा का पालन लोग अल्पकाल

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

अल्पकाल के लिए छिटपुट रूप से नहीं करते है। आज्ञाकारिता निरंतर और शाश्वत होना चाहिए। इससे यह स्पष्ट है कि सम्प्रभुता स्थायी होती है, अल्पकालीन नहीं।

(iv) सम्प्रभुता के आदेश कानून है :- आस्टिन के अनुसार 'उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है। सम्प्रभुता की अनुमति के बिना कोई कानून लागू नहीं हो सकता। प्रभुसत्ता के आदेश यानी कानून की अवहेलना करनेवाला दण्ड का भागी होता है।

(v) एकल सम्प्रभुता :- सम्प्रभुता की शक्ति अखण्डित, अनियंत्रित तथा अविभाज्य होती है। यह एक इकाई है और व्यक्तियों तथा संघों में इसका विभाजन नहीं हो सकता।

(vi) सम्प्रभु का आदेश सुनिश्चित और सुस्पष्ट :- आस्टिन के अनुसार सम्प्रभु का आदेश सुनिश्चित और सुस्पष्ट होता है।

ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचनाएँ (Criticisms of Austin's Theory)

ऑस्टिन एक वकील था। इसलिए उसने संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या केवल कानूनी दृष्टिकोण से की है। आस्टिन द्वारा व्यावहारिक पक्ष पर ध्यान न दिए जाने के कारण बहुत से विद्वानों ने उसके सिद्धांत की कटु आलोचना की है। जिसमें सर हेनरी मेन (Sir Henry Maine), जॉन चिपमैन ग्रे (John Chipman Gray), गिलक्राइस्ट (Gilchrist) हार्ट (Hart) मेकाइवर (MacIver) प्रमुख है।

(i) निश्चित प्रभु की खोज कर पाना कठिन है :- आस्टिन के सिद्धान्त का केन्द्र-बिन्दु निश्चित प्रभु है, किन्तु इतिहास में इस प्रकार के निश्चित प्रभु के उदाहरण नहीं मिलते। हेनरी मेन ने लिखा है कि पूर्व के अनेक साम्राज्यों में ऐसी कोई चीज ही नहीं जिसे आस्टिन का 'निर्दिष्ट उच्चतर मनुष्य' (Determinate human superior) कहा जा सके। उदाहरण के लिए पंजाब के सिख राज्य में रणजीत सिंह ने अपनी प्रजा पर निरंकुश अधिकार से शासन किया था। उनके छोटे से छोटे आदेशों का उल्लंघन करने का दण्ड फांसी या अंग-भंग होता था। तथापि समाज की प्रचलित प्रथाओं का उन्हें भी आदर करना पड़ता था। वह उनको बदल नहीं सकता था। आधुनिक लोकतंत्रीय राज्यों पर भी आस्टिन का सिद्धांत लागू नहीं होता क्योंकि लोकतंत्र में प्रभुसत्ता जनता तथा निर्वाचक गणों में मानी जाती है।

(ii) कानून का स्त्रोत केवल प्रभु ही नहीं होता :- आस्टिन के अनुसार प्रभु के आदेश कानून होते है किन्तु वास्तव में प्रभु ही एकमात्र कानून का स्रोत नहीं होता है। आज यह स्वीकार कर लिया गया है कि कानून के स्रोत परम्पराएँ, न्यायिक निर्णय, कानूनी ग्रंथ व टीकाएँ तथा कानून के औपचारिक विधान भी होते है। गैटिल के अनुसार धर्म, औचित्य, न्याय, पारस्परिक व्यवहार की शर्तें, परम्परागत नियम, प्रथाएँ तथा राजा के आदेश कानून के स्रोत होते है।

(iii) प्रभुसत्ता एकल और अखण्ड नहीं होती :- व्यवहार में प्रभुसत्ता का विभाजन संभव हो गया है। वर्तमान संघात्मक राज्यों के अंतर्गत सम्प्रभुता विभाजित होती है। आस्टिन का विचार संघ राज्यों पर भी लागू नहीं होता।

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

(iv) प्रभुसत्ता असीमित नहीं है :— ऑस्टिन ने असीमितता तथा निरंकुशता को प्रभुसत्ता की विशेषताएँ बताया है किन्तु व्यवहार में प्रभुसत्ता पर अनेक प्रतिबन्ध पाए जाते हैं। प्रभु की शक्ति पर नैतिकता, रीति-रिवाज, धर्म, अन्तर्राष्ट्रीय कानून इत्यादि की सीमाएँ किसी न किसी अंश में अवश्य होती हैं।

(v) ऑस्टिन का सिद्धांत शक्ति को अत्यधिक महत्व देता है :— ऑस्टिन का सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि उच्च सत्ताधारी अपने आदेशों का पालन कराने की स्थिति में इसलिए होता है क्योंकि वह शक्तिशाली होता है। अर्थात् ऑस्टिन ने शक्ति अथवा बल को ही निर्णायक माना है। उसके विचार में औचित्य तथा न्याय का तो प्रश्न ही नहीं है। वास्तविकता यह है कि जनसाधारण की शक्ति के कारण जनता कानूनों का पालन नहीं करती, वरन इसलिए करती है कि कानूनों के रूप में जनता की इच्छा की ही अभिव्यक्ति होती है।

(vi) ऑस्टिन का सिद्धान्त लोकतंत्र के प्रतिकूल :— ऑस्टिन की धारणा लोकतंत्र की भावनाओं के प्रतिकूल है, जिसके अनुसार प्रभुसत्ता अन्ततः जनता में निहित होती है।

(vii) ऑस्टिन का सिद्धांत खोखला है → प्रभुसत्ता का विश्लेषण करते हुए ऑस्टिन का दृष्टिकोण गहराई तक नहीं पहुँच पाता। वह कानूनी प्रभुसत्ता पर आकर रुक जाता है और यह देख नहीं पाता कि इस कानूनी प्रभुसत्ता के पीछे भी कुछ ऐसे राजनीतिक प्रभाव हैं जिसके आगे इस कानूनी सत्ता को झुकना पड़ता है।

निष्कर्ष :— निष्कर्षतः ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना की गई है और उसके सिद्धांत को केवल कानूनी दृष्टि से ठीक कहा जा सकता है। हेनरी मेन ने तो यहाँ तक कहा है कि ऐसी प्रभुसत्ता का उदाहरण केवल ऐसा निरंकुश शासक हो सकता है जिसके मस्तिष्क में कुछ खराबी आ गई है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि सम्प्रभुता संबंधी ऑस्टिन का सिद्धांत वैधानिक निरंकुशता पैदा करेगा।

(समाप्त)